

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक:- ई-33/ले.टे/(एफ-1512)/2019/

दिनांक :


आदेश

श्री रसिक बिहारी व्यास, लैब टेक्नीशियन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जवाजा (अजमेर) को निदेशालय के एकल पत्रावली पर राज्य सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग के आई.डी. संख्या 225 दिनांक 25.04.2011 के अनुसरण में राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी के आदेश क्रमांक AIDS/Estt/Misc(44)pt-III/2011/2133 दिनांक 31.03.2011 के द्वारा टेक्नीकल ऑफिसर के पद पर पूर्णतया अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हो जाने पद इनका पदाधिकार (Lien) इस निदेशालय के अधीन रखते हुए निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/ले.टे./1270/2011/296 दिनांक 29.04.2011 के द्वारा इन्हें नवीन पद पर कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी के आदेश क्रमांक 2342 दिनांक 04.06.2018 के द्वारा श्री रसिक बिहारी व्यास, लैब टेक्नीशियन को पुनः निदेशालय में कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया गया, कि पालना में श्री व्यास द्वारा दिनांक 04.06.2018 को निदेशालय में उपस्थिति प्रस्तुत की गई।

वित्त विभाग ने आई.डी. संख्या 101900438 दिनांक 20.02.2019 के द्वारा राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 64 में शिथिलन प्रदान करते हुए श्री रसिक बिहारी व्यास, लैब टेक्नीशियन की राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी में संविदा नियुक्ति पद व्यतीत सेवा अवधि दिनांक 30.04.2011 से विभाग में कार्यग्रहण दिनांक तक की अवधि का असाधारण अवकाश स्वीकृत कर नियमित किये जाने हेतु वित्त विभाग द्वारा सहमति प्रदान की गई हैं।

श्री रसिक बिहारी व्यास, लैब टेक्नीशियन का पदस्थापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के अधीन लैब टेक्नीशियन के रिक्त पद पर किया जाता है।


(मुकुल शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0, जयपुर

क्रमांक:- ई-33/ले.टे/(एफ-1512)/2019/149

दिनांक : 7/3/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर को उनकी आईडी क्रमांक 536 दिनांक 20.02.19 के क्रम में।
2. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर को उनकी आईडी क्रमांक 2079 दिनांक 22.02.19 के क्रम में।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-अजमेर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
5. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी जवाजा (अजमेर)।
6. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जवाजा (अजमेर)।
7. प्रभारी, सर्वर रूम, क.नं. 302, मुख्यालय को भेजकर लेखन के उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
8. श्री रसिक बिहारी व्यास, लैब टेक्नीशियन को पालनाएं।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0, जयपुर